भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1271

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा राशि

1271. श्रीमती रुचि वीराः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा कुल धनराशि और शेयरों की संख्या (उनके बाजार मूल्य सहित) का ब्यौरा क्या है तथा उन निवेशकों की संख्या कितनी है जिनकी धनराशि इस संबंध में लंबित है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आम निवेशकों, विशेष रूप से वृद्धजनों और ग्रामीण उत्तराधिकारियों को आईईपीएफ-5 फॉर्म की जटिल ऑनलाइन प्रक्रिया और इसकी उच्च अस्वीकृति दर के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धन वापसी के लिए आवेदन करने वाले निवेशकों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार हजारों करोड़ रुपये के लंबित दावों के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'एकल खिड़की समाधान प्रणाली' लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाने के लिए कंपनियों के नोडल अधिकारियों को डाक द्वारा भौतिक दस्तावेज भेजने की शर्त को समाप्त किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): इस संबंध में, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

आईईपीएफ में रिफंड आदि के बाद शुद्ध शेष राशि (**₹** करोड़ में)	**10,337.70**
कंपनियों द्वारा ट्रांसफर किए गए और आईईपीएफए के पास उपलब्ध अदावाकृत शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	**195.68**
शेयरों का बाज़ार मूल्य (**₹** करोड़ में)	**83,245.43**
वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	**26,510**

वर्ष के लिए आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं है।

(ख): संशोधित प्ररूप आईईपीएफ-5 तथा इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन रिपोर्ट (ईवीआर) को 6 अक्टूबर, 2025 से अधिसूचित किया गया। इन प्ररूपों में उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं**,** जैसे गंतव्य डिमैट खाते से संबद्ध बैंक विवरण का स्वतः प्राप्त होना तथा ईवीआर स्तर पर कंपनी द्वारा शेयरधारण संबंधी विवरण का सत्यापन। अस्वीकृति अथवा निरस्तीकरण निम्नलिखित कारणों से होते हैं:

(i) दावे में अपूर्णता अथवा त्रुटियों के कारण कंपनी द्वारा दाखिल इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन रिपोर्ट का अस्वीकार किया जाना;

(ii) आईईपीएफ़ (एएटीआर) नियम, 2016 के नियम 7 के उपनियम (3) के तहत, जहाँ कंपनी प्ररूप आईईपीएफ-5 दाखिल किए जाने की तिथि से 75 दिनों के भीतर प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहती है, वहाँ अस्वीकार किया जाना;

(iii) नियम 7 के उपनियम (7) के तहत, जहाँ आईईपीएफ़ द्वारा इंगित की गई विसंगति के 75 दिनों के भीतर कंपनी संशोधित इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहती है, वहाँ अस्वीकार किया जाना;

(iv) कपट अथवा प्रतिदावों के मामलों में कंपनी के अनुरोध के कारण अस्वीकार किया जाना; तथा

(v) जहाँ प्ररूप आईईपीएफ-5 में डिमैट खाते अथवा बैंक खाता संख्या जैसे वित्तीय विवरणों से संबंधित विसंगतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ दावा निरस्त किया जाना। ऐसे मामलों में दावाकर्ता को संशोधित विवरणों सहित पुनः दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है, और ऐसा न करने पर दावा निरस्त कर दिया जाता है।

(ग**):** सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
(i)	**2023-24**	**55,031**	**16,985**	**33,741**
(ii)	**2024-25**	**59,940**	**12,749**	**22,724**
(iii)	**2025-26#**	**72,605**	**62,668**	**34,918**

#वर्ष के लिए आंकड़े अनंतिम है।

(घ): आईईपीएफ का समेकित पोर्टल शेयरों तथा लाभांश के दावों के लिए एकल खिड़की प्रणाली है। मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, केवल 26,510 दावे लंबित थे।

(ङ): वर्तमान में**,** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
